दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार, 17 अवतूबर, 2003 / आश्विन 25, 1925 (शक)

रांख्या: 274

सदरयों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"गुझे आपको राराम्मान सृतित करना है कि दिल्ली विधान रामा के माननीय सदस्यो सर्वश्री चौ. प्रेम रिंह, डा. योमानन्द शारत्री, टेक चन्द शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेन्द्र कुमार, माला राम गंगवाल, चरण शिंह कण्डेरा, रमेश कुमार, कंवल शिंह यादव, रूप चन्द, राजेश जैन, महाबल मिश्रा, श्रीमती दर्शना राम कुमार एवं श्रीमती मीरा भारद्वाज को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 16/10/2003 को अपराहन 4.00 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनाक 16/10/2003 को अपराहन 4.15 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday, 17th October, 2003/ Aashvina 25, 1925(Saka)

No.: 274

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Adll. Dy. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi: -

"I have the honour to inform you that S/Shri Ch. Prem Singh, Dr. Yoganand Shastri, Tek Chand Sharma, Mukesh Sharma, Surender Kumar, Malaram Gangwal, Charan Singh Kandera, Ramesh Kumar, Kanwal Singh Yadav, Roop Chand, Rajesh Jain, Mahabal Mishra, Smt. Darshana Ram Kumar& Smt. Meera Bhardwaj, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 4.00 PM on 16/10/2003.

They along with their supporters were released at 4.15 P.M. on the same day i.e. 16/10/2003."

SIDDHARTH RAO SECRETARY